



# बिहार सरकार

## कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी/दण्डाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)

(गोपनीय शाखा)

eblocks.bih.nic.in/patna.nic.in

दूरभाष सं०-06122434246 (का०)

ई-मेल-sdo.masaurhi@gmail.com

**बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की सार्वजनिक नीलामी हेतु अल्पकालीन सूचना विज्ञापन संख्या-01/2019**

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 एवं (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत मसौढ़ी अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न थाना द्वारा दर्ज काण्डों में जप्त वाहनों की अधिहरण हेतु अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित न्यायादेश की अनुपालन में निम्नांकित उल्लेखित वाहनों का सार्वजनिक नीलामी किया जाना है।

### नीलामी हेतु वाहनों का विवरण

क्र० सं०	अधिहरण वाद सं०	थाना काण्ड सं०	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन सं०	नीलामी हेतु न्यूनतम निर्धारित राशि
1	631/17-18	पुनपुन थाना काण्ड संख्या-285/17	टेम्पू	BR01PF-3767	31,000/-रु०
2	396/17-18	भगवानगंज थाना कांड संख्या-19/17	पिकअप भान ट्रक	BR01GC-6243	61,000/-रु०
3				BR10DB-8993	55,000/-रु०
4	59/18-19	मसौढ़ी थाना कांड संख्या-442/17	टेम्पू	BR01PH0682	35,000/-रु०
5	676/18-19	मसौढ़ी थाना कांड संख्या-213/17	मोटरसाईकिल	BR01BK0334	13,000/-रु०
6	1779/18-19	मसौढ़ी थाना कांड संख्या-484/18	मोटरसाईकिल	Chesis No.- MDZA74EY7HRD4 0269/ Engine No.- JHYRHD01281	11,000/-रु०
7	336/18-19	पुनपुन थाना कांड संख्या-418/17	टेम्पू	BR01PH3162	35,000/-रु०

### नीलामी की शर्त :-

- (1) उपरोक्त वाहन "जहाँ है जिस स्थिति में है" के आधार पर नीलामी की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में संबंधित थाना में उक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं।
- (2) नीलामी डाक आरम्भ होने से पूर्व इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वाहन की सुरक्षित मूल्य का 25% नगद राशि जमानत के रूप में अनुमण्डल नजारत शाखा, मसौढ़ी में जमा करना होगा तथा नाजिर रसीद की मूल प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा तभी नीलामी में भाग लेने दिया जायेगा।
- (3) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी के पश्चात् उसी समय वाहन के मूल्य की आधी राशि जमा करना होगा, जिसमें जमानत की राशि विहित कर लिया जायेगा एवं शेष आधी राशि दो दिनों के अन्दर जमा कर वाहन ले जाना होगा। नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत शेष व्यक्तियों की जमानत की राशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।
- (4) नीलामी के समय नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
- (5) नीलामी दिनांक 18.07.2019 को 11:00 बजे से अनुमण्डल कार्यालय, मसौढ़ी के सभागार में किया जायेगा। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 19.07.2019 को 11:30 बजे किया जायेगा।
- (6) नीलामी को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- (7) नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा जिले/अनुमण्डल के अधिकृत वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
मसौढ़ी।